

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 539] नई दिल्ली, शनिवार, अक्तूबर 30, 1971/कार्तिक 8, 1893

No. 539] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 30, 1971/KARTIKA 8, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

ELECTION COMMISSION OF INDIA**NOTIFICATIONS***New Delhi, the 29th October 1971*

S.O. 5009.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission of India hereby directs that the following amendments shall be made in its notification No. 434/TN/71, dated the 18th January, 1971, namely:—

In the Table appended to the said notification,—In column 3 for the existing entry "2. Special Deputy Collector (Land Acquisition), Parambikulam-Aliyar Project, Pollachi" against item No. 19-Pollachi, the entry "2. Special Deputy Collector, (Localization), Pollachi", shall be substituted.

[No. 434/TN/71.]

भारत निर्वाचन आयोग**अधिसूचनाएं**

नई दिल्ली, 29 अक्तूबर, 1971

एस० आी० 5009.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग एतद् द्वारा निदेश

देता है कि उसकी अधिसूचना सं० 434/त० ना०/71, ता० 18 जनवरी, 1971 में निम्नलिखित संशोधन किए जायेंगे :—

उक्त अधिसूचना से संलग्न सारणी में :—

मद सं० 19—पोल्लाची के समक्ष स्तम्भ 3 में विद्यमान प्रविष्टि “2—विशेष उप-कलक्टर (भूमि अर्जन) पराम्बीकुलम— अलियार परियोजना, पोल्लाची”, के स्थान पर “2 - विशेष उप कलक्टर (स्थानीयकरण), पोल्लाची,” प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी ।

[सं० 434/त० ना०/71]

S.O. 5010.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 22 of the Representation of the People Act, 1951, (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, in addition to the officers appointed by its notification No. 434/TN/71 dated the 18th January, 1971, the following officers of Government as specified in column 2 of the Table below to assist the Returning Officer of the Parliamentary Constituency specified in column 1 of the said Table in the performance of the functions of such Returning Officer:—

TABLE

Returning Officer of Parliamentary Constituency	Assistant Returning Officers
(1)	(2)
1. Returning Officer of 19-Pollachi Parliamentary constituency.	(1) Assistant Commissioner, (Excise) Coimbatore. (2) Special Deputy Collector, (Tenancy Records) Coimbatore. (3) Special Deputy Collector, (Urban Land Tax) Coimbatore.

[No. 434/TN/71(2).]

By Order,

K. S. RAJAGOPALAN, Secy.

एस० ओ० 5010.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 22 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 434/त० ना०/71, तारीख 18 जनवरी 1971 द्वारा नियुक्त आफिसरों के अतिरिक्त, नीचे की सारणी स्तम्भ 2 में यथा-विनिर्दिष्ट निम्नलिखित सरकारी आफिसरों को, ऐसे सरकारी आफिसरों के सामने

उक्त सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर की, उसके कृत्यों के पालन में, सहायता करने के लिए एनद्द्वारा नियुक्त करता है :—

सारणी

संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का रिटर्निंग आफिसर	सहायक रिटर्निंग आफिसर
(1)	(2)
1 पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के रिटर्निंग आफिसर	1-सहायक आयुक्त (आबकारी) कोयम्बटूर । 2-विशेष उप-कलक्टर (अभिधृति अभिलेख) कोयम्बटूर । 3-विशेषरूप-कलक्टर (शहरी भूमि कर) कोयम्बटूर ।

[संख्या 434/स० ना०/71(2)]

आदेश से,

के० एस० राजगोपालन, सचिव ॥

